

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 824] No. 824] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2018/कार्तिक 25, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2018/KARTIKA 25, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1123(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, गुजरात सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :—

- 1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तृतीय संशोधन विनियमवली, 2018 कहा जाएगा।
 - (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "**गुजरात**" शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

"गुजरात

राज्य सरकार के तहत वरिष्ठ ड्यूटी पद	170
सरकार के मुख्य सचिव	1
सरकार के अपर मुख्य सचिव	5
सरकार के प्रधान सचिव	9
राज्य कर आयुक्त	1
प्रधान निवासी आयुक्त, नई दिल्ली	1
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	1
महानिदेशक, एसपीआईपीए	1
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात राज्य	1

6727 GI/2018 (1)

ग्रामीण विक	ास आयुक्त	1
मुख्यमंत्री के	प्रधान सचिव	1
आयुक्त, स्वा	स्थ्य, चिकित्सा सेवाएं और चिकित्सा शिक्षा	1
·		
सरकार के स	चिव	17
विकास आयु	क्त	1
उद्योग आयुत्त	τ	1
बंदोबस्त आ	युक्त और भूमि अभिलेख निदेशक	1
भूमि सुधार	आयुक्त	1
कुटीर और ग्र	ामीण उद्योग आयुक्त	1
परिवहन आ	युक्त	1
उच्च शिक्षा अ	ायुक्त	1
मत्स्यपालन	आयुक्त	1
महिला एवं र	बाल विकास आयुक्त	1
भूविज्ञान औ	र खनन आयुक्त	1
राज्यपाल के	प्रधान सचिव	1
राज्य कर वि	शेष आयुक्त	1
स्कूल आयुक्त		1
मुख्यमंत्री के	सचिव	1
श्रम आयुक्त		1
सूचना आयुत्त	T	1
राहत आय ुत्त		1
जनजातीय र्	वेकास आयुक्त	1
तकनीकी शि	क्षा आयुक्त	1
राजस्व निरी		1
आयुक्त, युवा	, खेल और युवा सेवाएं	1
राज्यपाल के	सचिव	1
नगर आयुक्त	, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा	3
सरकार के अ	पर/संयुक्त/उप सचिव	19
समाहर्ता		33
जिला विकार	न अधिकारी	33
नगर पालिक	ा प्रशासन आयुक्त	1
सहकारी सरि	मेतियों के रजिस्ट्रार	1
	शक, एसपीआईपीए	1
रोजगार और	प्रशिक्षण निदेशक	1
नागरिक आप		1
अनुसूचित ज	ाति कल्याण निदेशक	1
अपर आयुक्त		1
विकास अपर	आयुक्त	1

	अपर आयुक्त, राज्य कर	1
	अपर आयुक्त, ग्रामीण विकास	1
	स्टैम्प अधीक्षक और पंजीकरण महानिरीक्षक	1
	मध्याह्न भोजन आयुक्त	1
	निदेशक, आईसीडीएस	1
	अपर आयुक्त, ग्रामीण विकास (मनरेगा)	1
	क्षेत्रीय/उप नगर आयुक्त	6
1	कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	170
2	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	68
3	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	42
4	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	05
5	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	28
6	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने	95
	वाले पद	
	उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33 1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं	
7	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5-6)	218
	कुल प्राधिकृत संख्या	313".

[फा. सं. 11031/02/2018-अ.भा.से.-II (क)]

ज्योत्स्ना गुप्त, अवर सचिव

टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, गुजरात भा.प्र.से. संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 297 थी।

टिप्पणी (2): प्रधान विनियम दिनांक 22 अक्तूबर, 1955 की सा.का.नि. सं. 3350 के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात, इन्हें भा.प्र.से. के गुजरात संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किया गया।

क्रम सं.	सा.नि.का. सं.	दिनांक	क्रम सं.	सा.नि.का. सं.	
1	505	29.04.1960	14	37	18.01.1986
2	979	27.08.1960	15	190	26.03.1988
3	226	24.02.1962	16	419	17.06.1989
4	163	02.02.1963	17	271	06.06.1992
5	435	14.03.1964	18	654(왜)	15.10.1993
6	1715	27.11.1964	19	297	25.06.1994
7	1275	04.09.1965	20	319(अ)	31.03.1995
8	1231	13.08.1966	21	754(अ)	04.11.1999
9	1116	29.07.1967	22	140	29.03.2000
10	308	08.03.1975	23	706(왜)	16.11.2006
11	1251	21.10.1978	24	188(अ)	24.03.2009
12	221(अ)	21.04.1980	25	54(अ)	30.01.2013
13	639	11.07.1981			ı

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (Department of Personnel and Training) NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2018

- **G.S.R.** 1123(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Gujarat**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—
- 1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading "Gujarat" and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

"GUJARAT

Senior Duty Posts under the State Government	170
Chief Secretary to Government	1
Additional Chief Secretary to Government	5
Principal Secretary to Government	9
Commissioner of State Tax	1
Principal Resident Commissioner, New Delhi	1
Chief Executive Officer, Gujarat State Disaster Management Authority	1
Director-General of SPIPA	1
Chief Electoral Officer, Gujarat State	1
Commissioner of Rural Development	1
Principal Secretary to Chief Minister	1
Commissioner of Health, Medical Services & Medical Education	1
Secretary to Government	17
Development Commissioner	1
Industries Commissioner	1
Settlement Commissioner & Director of Land Records	1
Commissioner of Land Reforms	1
Commissioner of Cottage and Rural Industries	1
Commissioner of Transport	1
Commissioner of Higher Education	1
Commissioner of Fisheries	1
Commissioner of Women & Child Development	1
Commissioner of Geology & Mining	1
Principal Secretary to Governor	1
Special Commissioner of State Tax	1
Commissioner of Schools	1

	Secretary to Chief Minister	1
	Commissioner of Labour	1
	Commissioner of Information	1
	Commissioner of Relief	1
	Commissioner of Tribal Development	1
	Commissioner of Technical Education	1
	Revenue Inspection Commissioner	1
	Commissioner, Youth, Sports and Youth Services	1
	Secretary to Governor	1
	Municipal Commissioner, Surat, Ahmedabad, Vadodara	3
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Additional/Joint/Deputy Secretary to Govt.	19
	Collector	33
	District Development Officer	33
	Commissioner of Municipalities Administration	1
	Registrar of Co-operative Societies	1
	Deputy Director General, SPIPA	1
	Director of Employment & Training	1
	Director of Civil Supplies	1
	Director of Scheduled Castes Welfare	1
	Additional Commissioner of Industries	1
	Additional Development Commissioner	1
	Additional Commissioner of State Tax	1
	Additional Rural Development Commissioner	1
	Superintendent of Stamps & Inspector General of Registration	1
	Commissioner of Mid-day Meals	1
	Director, ICDS	1
	Additional Rural Development Commissioner (MNREGA)	1
	Regional/Deputy Municipal Commissioners	6
1	Total Senior Duty Posts	170
2	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	68
3	State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	42
4	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	05
5	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	28
6	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1, 2, 3 & 4 above	95
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	218
	Total Authorised Strength	313".

Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorised Strength of Gujarat Cadre was 297.

Note (2): The principal Regulations were published in the Gazette of India extraordinary *vide* number S.R.O. 3350 dated the 22nd October 1955 and subsequently amended in respect of the Gujarat Cadre by the following G.S.R. No. and date:—

Sl. No.	G.S.R. No.	DATE	Sl. No.	G.S.R. No.	DATE
1	505	29.04.1960	14	37	18.01.1986
2	979	27.08.1960	15	190	26.03.1988
3	226	24.02.1962	16	419	17.06.1989
4	163	02.02.1963	17	271	06.06.1992
5	435	14.03.1964	18	654(E)	15.10.1993
6	1715	27.11.1964	19	297	25.06.1994
7	1275	04.09.1965	20	319(E)	31.03.1995
8	1231	13.08.1966	21	754(E)	04.11.1999
9	1116	29.07.1967	22	140	29.03.2000
10	308	08.03.1975	23	706(E)	16.11.2006
11	1251	21.10.1978	24	188(E)	24.03.2009
12	221(E)	21.04.1980	25	54(E)	30.01.2013
13	639	11.07.1981		1	1



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

		PUBLISHED BY AUTHORITY
सं.	825]	नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2018/कार्तिक 25, 1940

No. 825] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2018/KARTIKA 25, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1124(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, गुजरात सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तृतीय संशोधन नियमावली, 2018 कहा जा सकेगा।
 - (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016, अनुसूची II में, -
 - (क) तालिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों से संबंधित–भाग क में, प्रथम कॉलम में आने वाली "गुजरात" प्रविष्टि तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तद्नुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"गुजरात		
सरकार के मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17	
सरकार के अपर मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17	
सरकार के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15	
राज्य कर आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15	
प्रधान निवासी आयुक्त, नई दिल्ली	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15	
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्रा	धिकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15	

6728 GI/2018 (1)

महानिदेशक, एसपीआईपीए	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात राज्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
ग्रामीण विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
आयुक्त, स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाएं और चिकित्सा शिक्षा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
सरकार के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
उद्योग आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
बंदोबस्त आयुक्त और भूमि अभिलेख निदेशक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
भूमि सुधार आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
कुटीर और ग्रामीण उद्योग आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
परिवहन आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
उच्च शिक्षा आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मत्स्यपालन आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
महिला एवं बाल विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
भूविज्ञान और खनन आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
राज्यपाल के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
राज्य कर विशेष आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
स्कूल आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्यमंत्री के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
श्रम आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सूचना आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
राहत आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
जनजातीय विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
तकनीकी शिक्षा आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
राजस्व निरीक्षण आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, युवा, खेल और युवा सेवाएं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
राज्यपाल के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
नगर आयुक्त, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 ".

(ख) वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों से संबंधित भाग ख में, तालिका में गुजरात के अधीन आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

"गुजरात	
	सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव
	समाहर्ता
	जिला विकास अधिकारी

नग	र पालिका प्रशासन आयुक्त
सहव	कारी समितियों के रजिस्ट्रार
उप	महानिदेशक, एसपीआईपीए
रोज	नगार और प्रशिक्षण निदेशक
नाग	ारिक आपूर्ति निदेशक
अनु	सूचित जाति कल्याण निदेशक
अप	र आयुक्त, उद्योग
विक	नास, अपर आय ुक्त
अप	र आयुक्त, राज्य कर
अप	र आयुक्त, ग्रामीण विकास
स्टैम	प अधीक्षक और पंजीकरण महानिरीक्षक
मध्य	याह्न भोजन आयुक्त
निदे	शक, आईसीडीएस
अप	र आयुक्त, ग्रामीण विकास (मनरेगा)
क्षेत्र	ोय/उप नगर आयुक्त".

[फा. सं. 11031/02/2018- अ.भा.से.-II(ख)] ज्योत्स्ना गुप्त, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान नियम, तारीख 08 सितम्बर, 2016 की सा.का.नि.सं. 870(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या तथा तारीख को संशोधित किए गए:-

क्रम सं.	जी.एस.आर.	दिनांक
1.	1062(괭)	10.11.2016
2.	1178(अ)	27.12.2016
3.	1194(अ)	30.12.2016
4.	575(अ)	12.06.2017
5.	1382(अ)	10.11.2017
6.	1429(अ)	17.11.2017
7.	1585(अ)	22.12.2017
8.	566(अ)	15.06.2018
9.	819(अ)	28.08.2018

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training) NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2018

G.S.R. 1124(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Gujarat** hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules,

2016, namely: –

- 1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Third Amendment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,—
 - (a) in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry "Gujarat" occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

"GUJARAT	
Chief Secretary to Government	Level 17 in the pay matrix
Additional Chief Secretary to Government	Level 17 in the pay matrix
Principal Secretary to Government	Level 15 in the pay matrix
Commissioner of State Tax	Level 15 in the pay matrix
Principal Resident Commissioner, New Delhi	Level 15 in the pay matrix
Chief Executive Officer, Gujarat State Disaster Management Authority	Level 15 in the pay matrix
Director-General of SPIPA	Level 15 in the pay matrix
Chief Electoral Officer, Gujarat State	Level 15 in the pay matrix
Commissioner of Rural Development	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary to Chief Minister	Level 15 in the pay matrix
Commissioner of Health, Medical Services & Medical Education	Level 15 in the pay matrix
Secretary to Government	Level 14 in the pay matrix
Development Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Industries Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Settlement Commissioner & Director of Land Records	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Land Reforms	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Cottage and Rural Industries	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Transport	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Higher Education	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Fisheries	Level 14 in the pay matrix

Commissioner of Women & Child Development	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Geology & Mining	Level 14 in the pay matrix
Principal Secretary to Governor	Level 14 in the pay matrix
Special Commissioner of State Tax	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Schools	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Chief Minister	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Labour	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Information	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Relief	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Tribal Development	Level 14 in the pay matrix
Commissioner of Technical Education	Level 14 in the pay matrix
Revenue Inspection Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Youth, Sports and Youth Services	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Governor	Level 14 in the pay matrix
Municipal Commissioner, Surat, Ahmedabad, Vadodara	Level 14 in the pay matrix".

(b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Gujarat the following shall be substituted,—

"GUJARAT			
Additional/Joint/Deputy Secretary to Govt.			
Collector			
District Development Officer			
Commissioner of Municipalities Administration			
Registrar of Co-operative Societies			
Deputy Director General, SPIPA			
Director of Employment & Training			
Director of Civil Supplies			
Director of Scheduled Castes Welfare			
Additional Commissioner of Industries			
Additional Development Commissioner			
Additional Commissioner of State Tax			
Additional Rural Development Commissioner			
Superintendent of Stamps & Inspector General of Registration			
Commissioner of Mid-day Meals			
Director, ICDS			
Additional Rural Development Commissioner (MNREGA)			
Regional/Deputy Municipal Commissioners".			

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 870(E) dated the 08th September, 2016 and subsequently amended by the following G.S.R. No. and date:—

Sl. No.	G.S.R. No.	Date
1.	1062(E)	10.11.2016
2.	1178(E)	27.12.2016
3.	1194(E)	30.12.2016
4.	575(E)	12.06.2017
5.	1382(E)	10.11.2017
6.	1429(E)	17.11.2017
7.	1585(E)	22.12.2017
8.	566(E)	15.06.2018
9.	819(E)	28.08.2018